



संख्या:- 120/2026/आई-1433623/001-405 आ0-23-5002-002-45-2025
(कम्प्यूटर संख्या-1994764)

प्रेषक,
सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०),
लो०नि०वि०, लखनऊ उ०प्र०।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-55 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-01-053-0302-00-29 "महाधिवक्ता कार्यालय, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नवीन भवन का अनुरक्षण" मद के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय के 01 कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-55 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-01-053-0302-00-29 "महाधिवक्ता कार्यालय, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नवीन भवन का अनुरक्षण" मद के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय के 01 कार्य हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत ₹० 101.18 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹० 91.00 लाख (₹० इक्यानबे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि० का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
(धनराशि लाख ₹० में)					
1	177(1)बीजीबी/112बीजी बी/3271प्रयागराज/अना 0/2026-27, दि० 14.07.2026	प्रयागराज	Comprehensive Annual Maintenance of Various Items Installed at Maha Adhivakta Building.	101.18	91.00
कुल योग :-				101.18	91.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों:-

- 1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो०नि०वि० चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।
- 2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।
- 4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पीओएलओएओ में नहीं रखी जायेगी।
- 7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- 9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जीओएसटीओ आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।
- 12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डीओडीओओ कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संओ-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- 14- विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लोओनिओविओ द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 91,00,000 (रुपये इक्यानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 202627 के आय-व्ययक में अनुदान संओ-55 लेखाशीर्षक 2059010530302-महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नवीन भवन का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संओ-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्वित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 120/2026/आई-1433623/001-405 आओ(1)/001-23-5-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्रओ प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्रओ प्रयागराज।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट, लोओनिओविओ, 30प्रओ शासन।
- 4- सम्बंधित जिलाधिकारी, 30प्रओ।
- 5- निदेशक, कोषागार, 30प्रओ लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोओनिओविओ, 30प्रओ लखनऊ।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्रओ।
- 9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लोओनिओविओ, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो०नि०अनु०-10/श्रम अनु०-2/गार्ड बुक।
आज्ञा से,
जूली दुबे
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।